न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 44/2014/अपील

डॉ0 हरिशचन्द्र चेचानी पुत्र सुगनचन्द चेचानी जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 20, पुलिस लाईन के सामने सीकर तहसील व जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 कमला पुत्री घीसा (मृत)
1/1 नरसी पुत्र गणपत कहार
2 सीताराम पुत्र रामू
3 श्यामलाल पुत्र सुरजा
4 मोहरी पत्नी सुरजा
समस्त जाति कहार निवासी तालाब की ढ़ाणी तन रेवासा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
5 ग्राम पंचायत रेवासा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.07.2014 मु.न. 01/2014 अनुवानी कमला बनाम सीताराम द्वारा न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़

वकील अपीलांट श्री सुरजभानसिंह

निर्णय **दिनांकः—31.12.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में भूमि खसरा नम्बर 159/3234 रकबा 1.16 हैक्टर अवस्थित है। जिसका पुराना खसरा नम्बर 210 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा था, जिसकी खातेदारी सम्वत् 2027 से 2030 तक घीसा पुत्र कालू जाति कहार निवासी तालाब की ढाणी तन रैवासा के नाम से थी। घीसा की मृत्यु पर ग्राम पंचायत रैवासा द्वारा नामान्तकरण संख्या 756 विरासत बाबत दिनांक 25.07.1972 को मृतक घीसा के वारिस रामू व सुरजा के बहिस्सा बराबर कर दिया गया, जिन्होने बाद में उक्त भूमि सम्पूर्ण विक्रय कर दी और केतागण ने भी ओर आगे कई बार विक्रय कर दी और वर्तमान में खातेदारी विक्रय पत्र के जरिये केता अपीलांट के नाम से नामान्तकरण संख्या 755 दिनांक 08.01.2008 के जरिये हुई है। तत्पश्चात वर्ष 2013 में नामान्तकरण संख्या 756 दिनांक 25.07.1972 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ में अपील प्रस्तुत की, जिस पर न्यायालय एसडीओ दांतारामगढ दिनांक 31.01.2014 के जरिये अपील स्वीकार कर पत्रावली अधिनस्थ तहसीलदार दांतारामगढ़ का इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की कि मृतक घीसा के विधिक वारिसान बाबत पुनः जांच कर नामान्तकरण का पुनः निस्तारण करें। जिस पर अधिनस्थ तहसीलदार दांतारामगढ ने पुनः जांच कर रेस्पोडेन्ट संख्या एक को मृतक घीसा के 1/3 हिस्से की पुत्री वारिस मानकर नामान्तकरण भरने का निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के

प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी कर मृतक घीसा के दो पुत्र रामू व सूरजा व तीसरी पुत्री कमला रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बराबर बराबर 1/3 हिस्सा का नामान्तकरण भरने का गलत आदेश पारित किया है। जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार पुत्री सहदायी नही है। 2005 से पूर्व उसे पुत्रों के बराबर काश्तकारी अधिनियम में बराबर का हिस्सा लेने के प्रावधान नही थे। 2005 के पश्चात उसे पुत्रो के बराबर अधिकार प्राप्त हुए है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने घीसा के मृतक पुत्र रामू के अपने निर्णय में तीन वारिस होने का उल्लेख किया है इससे केवल एक को पक्षकार बनाया है और पुत्र सुरजा मृतक के पांच वारिस बताये है जिनमें से एक श्यामलाल व पत्नि मोहरी को ही पक्षकार बनाया है। शेष वारिसान को पक्षकार बनाये बगैर निर्णय पारित किया है। आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार संस्थित किये बिना निर्णय पारित करना अवैध निर्णय की श्रेणी में आता है। सन् 2008 से प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी में अपीलांट का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है लेकिन उन्हें पक्षकार बनाये बगैर व उन्हें सुनवायी का अवसर दिये बिना गलत निर्णय पारित किया है। नामान्तकरण संख्या 756 का निर्णय दिनांक 25.07.1972 को किया गया है इन 42 वर्षो की अवधि में अपील नही की गयी, इसलिए इतने लम्बे अर्से के बाद भूमि जब चार बार विक्रय हो गयी और भूमि पर काफी पैसा खर्च कर उसमें अपीलांट ने जमीन को काफी उपजाउ बना लिया उसके पश्चात लम्बी देरी के बाद उक्त अपील का निर्णय पारित कर गलत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि योगय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर अपील निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत पेश किये। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में RRT 2003(1) पेज नम्बर 650 से 653 व RRD June, 2007 पेज नम्बर 391 से 395 पेश किये, जिस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायायल उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा पत्रांक/रीडर/14/123 दिनांक 04.02.2014 उनवानी कमला देवी बनाम सीताराम आदि में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2014 द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 756 दिनांक 25.07.1972 द्वारा ग्राम पंचायत रैवास खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ़ को रिमाण्ड किया जाकर मृतक घीसा के विधिक वारिसान के सम्बंध में जांच कर नामान्तकरण का पुनः निस्तारण किये जाने के आधार पर पारित किया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अंकित किया गया है कि "नामान्तकरण संख्या 756 ग्राम रैवासा को उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत व शपथ–पत्र व पटवारी रिपोर्ट में अंकित सजरा तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार मृतक घीसा के विधिक वारिसान के नाम मुताबिक वारिशों के कमला पुत्री स्व0 घीसा हिस्सा 1/3, सीताराम पुत्र स्व0 रामू, घीसी, बिमला पुत्रिया स्व0 रामू हि.ब.हि0 1/3, श्यामलाल पुत्र स्व0 सुरजा, मोहरी पत्नी स्व0 सुरजा, नेमीचन्द, शंकर पुत्रान् स्व0 सुरजा, भागोती पुत्री स्व0 सुरजा हि.ब.हि0 1/3 के नाम नामान्तकरण दर्ज कर नियमानुसार फैसल करने की आज्ञा दी जाती है। हल्का पटवारी को निर्णय की प्रति भिजवायी जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु लिखा जावें।" चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2014 को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर विवादित नामान्तकरण के सम्बंध में मृतक घीसा के विधिक वारिसान के सम्बंध में जांच कर नामान्तकरण का पुनः निस्तारण किये जाने हेतु भिजवाये जाने के उपरांत अपीलाधीन निर्णय में अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत व शपथ–पत्र

व हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं मृतक के वारिसान की जांच की जाकर निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में मृतक के वारिसान के अलावा अगर किसी अन्य वारिस का नाम अंकित किया गया है तो इस सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के क्रम में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट, साक्ष्य सबूत व शपथ–पत्र एवं मृतक के विधिक वारिसान की जांच की जाकर पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर